मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 8-5/2020/नियम/चार **भोपाल, दिनांक 16 /मार्च/2021**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण पश्चात एरियर्स का भुगतान।

संदर्भ :-(1) पत्र कमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, दिनांक 15 मई 2020

(2) पत्र कमांक एफ 1386/8-5/2020/नियम/चार, दिनांक 4-11-2020

संदर्भित परिपत्र-1 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड 19 की आपदा के कारण 1 मई 2020 से देय तृतीय एवं अंतिम किश्त के भुगतान के आदेश स्थगित किये गये थे।

1. संदर्भित पत्र क. (2) के द्वारा प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त की 25 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान के आदेश जारी करते हुये शेष देय राशि के संबंध में पृथक से निर्णय लिये जाने का लेख किया गया था ।
2. शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के शेष 75 प्रतिशत राशि नियमानुसार अनिवार्य कटौत्रे पश्चात नगद भुगतान तत्काल किया जाये।
3. राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता सदस्यों को देय राशि का अंशदाता तथा शासन के नियमानुसार अंशदान उपरान्त देय राशि का नगद भुगतान किया जाए।
4. कृपया उपर्युक्त अनुसार सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत करावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/3/21

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक एफ 8-5/2020/नियम/चार **भोपाल, दिनांक 16/मार्च/2021**

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
12. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
13. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
14. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर जवाहर चौक भोपाल
15. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
16. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी म.प्र.
17. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
18. सहायक संचालक/प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय भोपाल।
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

16/03/2021

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त्त विभाग